

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 539 / 2009 / श्रीगंगानगर

मैसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन कम्पनी, श्रीगंगानगर
बनाम

.....अपीलार्थी

1. उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वकर्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक।
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 157/08-09 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 19.11.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वकर्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 15.02.2008 के जरिये संशोधित कर मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी करने के निम्न आदेश की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी ठेकेदार को संविदा कार्य हेतु अधिशासी अभियंता सीमा हदबंदी मण्डल-2, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, बीकानेर से जारी वर्क आर्डर क्रमांक 30 दिनांक 15.05.2007 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र WT-3 के आधार पर कर मुक्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 09/31 दिनांक 04.06.2007 कर मुक्ति शुल्क 1.5 प्रतिशत की दर से जारी किया गया। परन्तु उक्त कार्य संविदा की प्रकृति को देखते हुए इस पर 3 प्रतिशत इसी शुल्क होना चाहिये था इस आधार पर पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया जाकर इसी फीस 3 प्रतिशत से 10,79,781/-रुपये निर्धारित की गई उक्त आदेश से व्यक्ति होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर दी। जिससे व्यक्ति होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में इसी फीस की जो बढ़ोतरी की गयी है वह विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अपीलार्थी ने आगे कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा "बिल्डिंग" शब्द का सही अर्थ नहीं लिया है। अपीलार्थी ने अपना पक्ष रखते हुए आगे कथन किया है कि विचाराधीन अपील प्रकरण में सिविल निर्माण की प्रकृति का कार्य किया गया है जिसमें

बिल्डिंग मैटेरियल जैसे स्टील, सीमेंट, ग्रीट इत्यादि सामग्री का उपयोग किया गया है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के अनुसार विचाराधीन अपील प्रकरण में अर्थवर्क (Earth Work) भी किया गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार उसका प्रकरण राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसचना क्रमांक एफ. 12(63)एफडी / टैक्स / 2005-80 दिनांक 11.08.2006 की अनुसूची के क्रमांक 2 के सम्मुख उल्लेखित प्रविष्टि "Works Contract relating to Building, Roads, Bridges, Dams, Canals, Sewerage system" से आच्छादित होता है इसलिये उस पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देय बनता है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने इस कार्य संविदा के संबंध में अपीलार्थी पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्तिशुल्क चुकाने का दायित्व होना माना है। अपीलार्थी के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा निष्पादित कार्यसंविदा को उक्त अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 4 से आच्छादित होना मानकर जो 3 प्रतिशत की दर से मुक्तिशुल्क निर्धारित किया है वह अविधिक है। अपने तकाँ के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने

1. मैसर्स इलेक्ट्रोमेकेनिकल इंजीनियरिंग कारपोरेशन अलवर बनाम अतिरिक्त आयुक्त (वेट) 2006 वेट रिपोर्टर 257 (आरटीबी)
2. मैसर्स शंकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स कोटा अपील संख्या 574 / 2012 निर्णय दिनांक 09.09.2016
3. एसीटीओ बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सीज 29 टैक्स अपडेट पेज 253 के दृष्टान्त प्रस्तुत किये एवं स्पष्ट किया कि संचेतन मस्तिष्क से किये हुए आदेश का पुनरीक्षण करने का अधिकार कर निर्धारण अधिकारी को नहीं है। अतः पारित आदेश एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि किया जाना अविधिक और अनुचित है। तदनुरूप प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर दोनों अवर अधिकारियों के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।
5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उन्होंने तर्क दिया कि इसी शुल्क राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में अंकित अनुसूची के क्रम संख्या के सम्मुख उल्लेखित प्रविष्टि के अनुसार तय होती है तदनुरूप क्रम संख्या 2 के सम्मुख उल्लेखित प्रविष्टि Work Contract Relating to Building, Roads, Bridges, Dams, Canals, Severage System अंकित है जिस पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देय होता है परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी का कार्यादेश उक्त प्रविष्टियों से आच्छादित नहीं है अतः इस भूल को कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को नोटिस जारी करने के पश्चात अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन आदेश पारित कर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क चुकाने का दायित्व माना है जो कि अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 4 से आच्छादित है अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश की पुष्टि विधिक रूप से की है अतः अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रिकार्ड तथा प्रस्तुत उद्घारणों का अवलोकन किया गया।
7. सर्वप्रथम अपीलार्थी व्यवहारी को प्रदत्त कार्य संविदा का अवलोकन उचित होगा तदनुरूप अधिशासी अभियंता सीमा हदबंदी मण्डल-2, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, बीकानेर से जारी वर्क आर्डर क्रमांक 30 दिनांक 15.05.2007 के द्वारा प्रदत्त कार्य संविदा Strengthening/replacement of damaged fencing and providing cement concrete pavement between BP No. 304 to 361/M SH: EFL 476 to 617 and EFL 776 to 790 under Sri Ganganagar sector Rajasthan (Phase - II) (15.50 Km प्रदत्त किया गया है।

8. कार्य संविदा पर मुक्ति शुल्क के कम में जारी अधिसूचना कमांक एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.08.2006 की तत्समय स्थिति निम्न प्रकार से है :—

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee% of the total value of the contract
1.	2.	3.
1.	Works contracts relating to dyeing, processing and similar activities.	0.25%
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams canals, sewerage system.	1.50%
3.	Works contracts relating to installation of plants and machinery including pspo. Water treatment plant. Laying of pipe line with material	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by [item Nos. 1, 2 and 3]	3.00%

उपरोक्त कार्य संविदा की प्रकृति उक्त अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 1, 2, 3 में उल्लेखित कार्य संविदाओं से भिन्न है यह अविवादित है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने मैसर्स मक्कड प्लास्टिक एजेन्सीज के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय अन्यों निर्णयों के साथ प्रस्तुत किया है तदनुरूप पैरा 18 में यह प्रतिपादित किया गया है :—

"14. The scope and ambit of the power which could be exercised under Section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right." एवं पैरा 18 में

"18. When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by reappreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such reappreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. (iii) the orders passed by the Taxation Board on 22.01.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing officer is restored."

इसके अलावा माननीय राजस्थान कर बोर्ड का निर्णय शंकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कोटा में निम्न प्रकार से प्रतिपादन किया गया है :—

'व्यवहारी ठेकेदार ने न्युकिलयर पावर कोर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिंग अणुशक्ति के कार्यादेश कमांक 78015 दिनांक 11.01.2011 से 16,67,409/- रुपये का Modification and Construction of Main Plant Boundary Wall between RAPP 5, 6, 7 & 8 का कार्यादेश प्राप्त किया और प्रारूप WT-1 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार 1.50 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क देय है।' एवं इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, अलवर में निम्न प्रकार निर्णय दिया गया है :—


‘जो निर्माण प्री-फैब्रिकेटेट स्टील से व्यवहारी ने किया है, वह निश्चित रूप से बिल्डिंग की श्रेणी में आता है। 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क आरोपण हेतु यह कहीं निर्धारित नहीं है कि बिल्डिंग का निर्माण सिविल कन्स्ट्रक्शन के रूप में चूना, रोड़ी, बजरी, सीमेन्ट, पत्थर आदि से ही किया जावे। ऐसी परिस्थिति में हमारी राय में व्यवहारी द्वारा किया गया निर्माण अधिसूचना की कम संया 1 पर अंकित कार्य संविदा के अन्तर्गत आता है तथा उस पर 1.5 प्रतिशत की दर से ही मुक्ति शुल्क देय है।’

10. उपरोक्त उद्धरणों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का कार्यादेश जो सीमा पर तारबंदी का कार्य संविदा कार्य है, अविवादित तौर पर राज्य सरकार की अधिसूचना 11.08.2006 की प्रविष्टि संख्या 4 के अन्तर्गत आता है केवल रोड़ी, बजरी व सीमेन्ट कुछ हद तक काम में लेने मात्र से ही भवन से संबंधित कार्य संविदा नहीं हो जाती है। कर निर्धारण अधिकारी ने संविदाओं को प्रविष्टि संख्या 2 से सम्बन्धित मानकर इसी शुल्क 1.5 प्रतिशत तय कर दिया था। जिसका ध्यान में आने पर सही तौर पर मुक्ति कर निर्धारण करने के लिये परिशोधन करने हेतु अपीलार्थी को नोटिस जारी कर संशोधित आदेश पारित किया गया। जहां तक माननीय कर बोर्ड के दोनों निर्णयों का प्रश्न है इन दोनों निर्णयों के सरसरी तौर पर अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त निर्णयों में वस्तु स्थिति व तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न है अतः इस पर लागू नहीं पाये जाते हैं। मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार संशोधन आदेश में संचेतन मस्तिष्क एवं खुली आंखों से पारित आदेश जिनमें रिकार्ड के समस्त तथ्यों को Reappreciation नहीं किया जा सकता है का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में रिकार्ड के समस्त तथ्यों का Reappreciation नहीं किया गया है केवल कार्य संविदा की प्रकृति को ध्यान में रखकर कर मुक्ति शुल्क निर्धारण किया गया है। मूल आदेश से गलत वर्गीकरण होने से बिना किसी तथ्यों का Reappreciation किये राज्य सरकार की अधिसूचना में विहित दर को लागू मात्र किया है, जो कि रिकार्ड से स्पष्ट भूल है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के तथ्य यहां लागू नहीं कर पाते हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने रिकार्ड से स्पष्ट भूल को संशोधित कर अपनी भूल को मात्र सुधारा है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

11. परिणामतः व्यवहारी अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


23.1.2015
(मदन लाल)
सदस्य


(खेराज)
अध्यक्ष